भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 216

(शुक्रवार, 2 फरवरी, 2018/13 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकरण

216. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डीः
प्रो॰ सौगत रायः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकरण की व्यापक समीक्षा करने की और कारपोरेट शासी संरचना को मजबूत करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, कंपनियों के बोर्ड से उनको बाहर करने के कारणों का विश्लेषण करने की योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): स्वतंत्र निदेशकों की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल मंत्रालय के समक्ष नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 (यह अधिनियम) की धारा 149 में विहित हैं। अधिनियम की अनुसूची-IV में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन करते समय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता विहित की गई है।

स्वतंत्र निदेशकों को हटाने के प्रावधानों की समीक्षा की गई है और यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि किसी स्वतंत्र निदेशक, जिसे इस अधिनियम की धारा 149(10) के अधीन पुन: नियुक्त किया गया है, को धारा 169 के अधीन एक विशेष संकल्प पारित करने के बाद ही हटाया जाएगा। स्वतंत्र निदेशकों के साथ-साथ उनके संबंधियों के लिए धन संबंधी हित पर सीमाएं लगाने हेतु कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (03 जनवरी, 2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में संशोधन किए गए हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आर्थिक मामले विभाग (वित्त मंत्रालय) के अधीन जून, 2017 में श्री उदय कोटक की अध्यक्षता में कारपोरेट शासन से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 05 अक्तूबर, 2017 को अपनी रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर एक अध्याय शामिल है। परंतु अब तक इस मंत्रालय को इस संबंध में सेबी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****